जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट / स्पीड पोस्ट

राजस्थान सरकार

कार्यालय, संभागीय आयुक्त, उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) सम्पर्क 0294–2420064, 0294–2420237
ई–मेल: divcomm-udai-rj@nic.in

क्रमांक–एफ 17 / 14 / आर.टी.आई. / प्रथम अपील / 2025 / 2534 दिनांक: 29 / 08 / 2025

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा–19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005
अपील संख्या–05 / 2025

श्री नरेन्द्र सिंघवी,
निवासी 66 के सिंघवी हाउस,
1 फ्लोर, सहेलियों की बाड़ी के पीछे,
उदयपुर — अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर — प्रत्यर्थी

निर्णय

उक्त अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर (लोक सूचना अधिकारी) को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 18.07.2025 पर सूचना प्राप्त नहीं होने पर, अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, उदयपुर के समक्ष दिनांक 03.08.2025 को प्रस्तुत की गई।

1. प्रार्थना पत्र एवं अपील का विवरण :–

क्र.स.		
1.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दिनांक	18.07.2025
2.	प्रार्थना पत्र का जबाब / सूचना प्रेषित किये जाने की दिनांक	24.07.2025
3.	लोक सूचना अधिकारी, जिसने जबाब प्रेषित किया / किया जाना है	अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
4.	प्रथम अपील प्राप्ति दिनांक (संभागीय आयुक्त, उदयपुर में)	03.08.2025
5.	प्रथम अपील सुनवाई दिनांक	29.08.2025
6.	प्रथम अपील निर्णय दिनांक	29.08.2025

2. **प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य** :– सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा दिनांक 08.12.2024 से निम्न सूचना चाही गई –

बिन्दु संख्या	चाही गई सूचना
1.	WE ARE REQUESTING FOR PROVIDING OF COMPLETE FILE RECORDS INCLUDING COMPLETE ORDER SHEET / NOTE SHEET , OUR PRESENTATIONS , ENCLOSURES SUMITTED BY US , INTER-OFFICE MEMO ,CORRESPONDANCES AND EXCHANGE OF LETTERS ETC. COMPLETE IN ALL RESPECT UNDER RTI ACT.,2005 AVAILABLE IN THE RECORDS OF THE SECOND APPEAL DECIDED ON 16.07.2025 BY THE DIVISIONAL

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट / स्पीड पोस्ट

राजस्थान सरकार

कार्यालय, संभागीय आयुक्त, उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) सम्पर्क 0294–2420064, 0294–2420237

ई–मेलः divcomm-udai-rj@nic.in

	COMMISSIONER , UDAIPUR UNDER THE RIGHT TO HEARING ACT.,2012 (FILE NUMBER : CASE NUMBER : 01/2025 / APPEAL UNDER RIGHT TO HEARING ACT.,2012 DATED 03.06.2025 , DECIDED ON 16.07.2025) WHICH SHOULD BE ORIGINALLY DULY SIGNED WITH SEAL OF COMPETENT AUTRHORITIES UNDER RTI ACT.,2005. WE WANT COMPLETE FILE RECORDS INCLUDING COMPLETE ORDER SHEET / NOTE SHEET RELATED TO SECOND APPEAL FILED UNDER THE RIGHT TO HEARING ACT.,2012 DECIDED ON 16.07.2025. IT IS PURELY A CASE OF SENIOR CITIZEN AND COMES UNDER THE CATEGORY OF LIFE / LIBERTY / URGENCY.

अपीलार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त नहीं होने पर प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

3. प्रकरण का निर्णयः–

इस कार्यालय में पत्रावली प्राप्त होने के पश्चात अपील दर्ज की गई एवं अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई दिनांक 18.08.2025 को उपस्थित होने का नोटिस जारी किया गया। सुनवाई में अपीलार्थी उपस्थित एवं लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर उपस्थित रहे। अपीलार्थी द्वारा पुनः अपना पक्ष / दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु मौका चाहा गया। न्यायहित में अवसर दिया जाकर अपीलार्थी का पक्ष दिनांक 29.08.2025 को सुना गया।

लोक सूचना अधिकारी ने अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 18.07.2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत वांछित सूचना प्राप्ति हेतु ऑनलाईन Life/Liberty आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसे प्रार्थी के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित नहीं मानते हुए प्रार्थना पत्र को निर्धारित समयावधि में सूचना प्रदान करने हेतु परिवर्तित कर दिया गया। साथ ही प्रार्थी द्वारा इस कार्यालय में पूर्व में राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम–2012 के अन्तर्गत प्रस्तुत द्वितीय अपील संख्या 01/2025 संबंधित पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि की सूचना चाही गयी, जिससे राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम–2012 के तहत प्रदत्त शक्तियों के क्रम में प्रकरण दर्ज करना, अपील आदि पर सुनवाई की कार्यवाही अर्द्ध–न्यायिक प्रकृति की होने से सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रतिलिपि आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना की वांछित प्रतियां प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय के पत्र दिनांक 24.07.2025 से सूचित किया गया। किन्तु प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना प्राप्ति हेतु सूचना का अधिकार अधिनयम–2005 के तहत प्रथम अपील इस कार्यालय में ऑन लाईन प्रेषित की है।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। *प्रार्थी द्वारा इस कार्यालय में पूर्व में राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम–2012 के अन्तर्गत प्रस्तुत द्वितीय अपील संख्या 01/2025 निर्णय दिनांक 16.07.2025 की प्रमाणित प्रति अपीलार्थी व जिला कलक्टर (प्रथम अपीलीय अधिकारी) उदयपुर को उपलब्ध करा दी गयी है। किन्तु प्रार्थी उक्त पत्रावली में उपलब्ध सम्पूर्ण दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि की सूचना हेतु न्यायिक प्रक्रिया अनुसार सूचना प्राप्त न कर सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना प्राप्त करना चाहता है। प्रार्थी को पूर्व में प्रकरण अर्द्ध न्यायिक प्रकृति का होने से* सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रतिलिपि आवेदन पत्र प्रस्तुत

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट

राजस्थान सरकार

कार्यालय, संभागीय आयुक्त, उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) सम्पर्क 0294–2420004, 0294–2420237
ई–मेलः divcomm-udai-rj@nic.in

कर सूचना की वांछित प्रतियां प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय के पत्र दिनांक 21.07.2025 से निर्धारित अवधि में सूचित किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेज प्रार्थी द्वारा स्वयं प्रस्तुत किए गए हैं, जो राजस्व न्यायालय में निस्तारित उनके प्रकरण एवं राजस्व दस्तावेज (जमाबन्दी) आदि की प्रमाणित प्रतियों की फोटोप्रतियां है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम–2012 के अन्तर्गत प्रस्तुत द्वितीय अपील अर्द्ध–न्यायिक प्रकृति का होकर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत वांछित सूचना देय नहीं होने से प्रार्थी के आवेदन पर लोक सूचना अधिकारी अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में सूचित किया जा चुका है। यहां यह भी उल्लेखित किया जाना प्रासंगिक है कि प्रार्थी द्वारा चाहे गए दस्तावेज उनकी भूमि के स्वामित्व से संबंधित हैं तथा राजस्व न्यायालय के फर्द अहकाम आदि की प्रमाणित प्रतियों की फोटोकापी हैं, जो उनके स्वयं द्वारा संबंधित न्यायालय/कार्यालयों से प्राप्त कर प्रस्तुत की गई हैं। साथ ही चूंकि उक्त सभी दस्तावेज इस कार्यालय से संबद्ध नहीं हैं, इस कारण से भी सूचना के अधिकार के तहत देय नहीं है। अतः अपील सारहीन होने से दिनांक 29.08.2025 को खारिज की जाती है।

अगर अपीलार्थी उक्त आदेश से असंतुष्ट है तो माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग, झालाना डूंगरी जयपुर में 90 दिवस के भीतर द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(प्रज्ञा केवलरमानी) IAS
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर
(प्रथम अपील अधिकारी)

संभागीय आयुक्त उदयपुर (राज.)

प्रतिलिपिः–

1. श्री नरेन्द्र सिंघवी, निवासी 66 के सिंघवी हाउस, I फ्लोर, सहेलियों की बाड़ी के पीछे, उदयपुर
2. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर।

संभागीय आयुक्त,
उदयपुर
(प्रथम अपील अधिकारी)